केन्द्रीय विद्यालय संगठन भोपाल की संयुक्त परामर्शदात्री(जे0सी0एम0) की दिनांक 28.03.2018 को संपन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त

केविसं0क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 28.03.2018 को पूर्वाहन में श्री सुनील श्रीवास्तव, प्रभारी उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें मान्यता प्राप्त संघों के एवं कार्यालय के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए।

	OFFICE SIDE	
1	Sh Pramod Parate, Principal, KV Bairagarh	Member
2	Sh Jugal Kishore Maheshwari, Administrative Officer, KVS, RO, Bhopal)	Member Secretary
	Special Invitee	
1	Sh Rajneesh Saxena, Assistant Section Officer & Offg.Finance Officer, KVS, RO, Bhopal	
	REPRESENTATIVES ON THE STAFF SIDE	
	Teachers Association (AIKVTA) – 02 members	
1.	Sh.Lavneesh Sood Regional President, AIKVTA (PGT Physics KV,Ujjain)	Member
2	Sh Anis Ahmed Daima, Regional General Secretary, AIKVTA (TGT Maths KV, Neemuch)	Member
	Non-Teaching Staff Association (KEVINTSA) – 02 members	
1.	Sh Deendayal Sawner, Regional President, KEVINTSA, (Sub Staff, KVS, RO, Bhopal)	Member
2.	Sh Sandeep Nema, Regional Secretary, KEVINTSA, (Assistant Section Officer,KVS, RO, Bhopal)	Member

संयुक्त क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति की बैठक का शुभारंभ श्री जुगल किशोर माहेश्वरी प्रशासनिक अधिकारी एवं समिति के सदस्य सचिव के स्वागत उद्बोधन से किया गया । तत्पश्चात समिति के अध्यक्ष श्री सुनील श्रीवास्तव एवं उपायुक्त महोदय द्वारा संयुक्त परामर्शदात्री समिति के गठन के उद्देश्यों एवं आपसी सहभागिता से कार्य करने की प्रेरणा देते हुए बैठक के विधिवत प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन भोपाल की संयुक्त परामर्शदात्री (जे0सी0एम0) के समस्त मान्यता संघों (AIKVTA/KEVINSTA) से प्राप्त निम्न कार्य-सूची के अनुसार बैठक की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।

	AIKVTA से प्राप्त बिन्दु	निर्णय
1	MGRM द्वारा निर्मित सालादर्पण पर परीक्षा परिणाम एवं अन्य कार्य करने की बाध्यता - यह पोर्टल user friendly न हो कर अत्यंत ही जटिल है। अब जबकि केविसं द्वारा नवीन परीक्षा प्रणाली स्वीकृत कर सीबीएसई द्वारा प्रदत्त रिपोर्ट कार्ड ही मान्य कर दिए गए हैं, तब भी तिद्यालय स्तर पर इस पोर्टल पर परीक्षा के नियम(Business Rules) निर्धारित किया जाना औचित्यहीन है। इसके विपरीत CBSE के पोर्टल, जिसमें पोर्टल से एक्सेल शीट डाउनलोड कर शिक्षक साथी विगत कई वर्षों से संपूर्ण जानकारी (student Data, Marks) आदि अपलोड कर रहे हैं, अत्यंत ही सुविधाजनक है। इसके साथ ही कई तिद्यालयों में optical fiber (FTTH) connection होने के बाद भी यह नहीं चलता है। अत: इसे CBSE के पोर्टल की तरह user friendly बनाया जाय।	यह प्रकरण केविसं(मु) का नीतिगत विषय है । इसमें क्षेत्रीय कार्यालय का हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। केविसं(मु) के समक्ष यह प्रस्ताव रखा जाएगा कि सीबीएसई के पोर्टल की तरह प्रभावी बनाने के लिए विचार करें।
2	वर्तमान समय में समस्त कार्य कम्प्यूटर आधारित होते जा रहें हैं जैसे शालादर्पण, UBI Portal, Tally पर कार्य, समग्र शिक्षा पोर्टल आदि , तथा लगभग सभी तिद्यालयों में इन कार्यों के लिए PGT (comp) को प्रभारी बना दिया	विद्यालय में सभी शिक्षक एवं अन्य स्टाफ के सदस्यों से केविसं की यह अपेक्षा होती है कि विद्यालय के हित में शिक्षण के साथ अन्य कार्यों में भी अपना संपूर्ण योगदान दें ।

	कर दिया गया है,साथ ही प्रात: कालीन सभा के समय/ किसी अधिकारी के आगमन के समय मुख्य गेट से बच्चों के स्कूल के आटो , दूध वालों, वाटर सप्लाई , समाचार पत्र हाकर , रिश्तेदारों एवं परिजनो को आने जाने से रोक दिया जाता है। इस तरह से स्टाफ आवासों में रहने वालों को बहुत ही परेशानी होती है। जबकि SOP के निर्देशों के अनुसार हर गेट पर एक सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति की जानी है।	यह बिन्दु है जानकारी प्राप्त कर समीक्षा करके नियमानुसार निर्देश दिए जाएगें।
15	अधिकांश विद्यालयों में संविदा पर नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति समाप्त कर दी गयी है इससे परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षण कार्य /मूल्यांकन कार्य का बोझ शेष शिक्षकों पर आ गया है। इस हेतु अगले सत्र के लिए संविदा पर शिक्षकों को रखते समय अनुबंध को परीक्षा परिणाम के जारी होने तक के लिए निदेशित किया जाय।	नीतिगत एवं वित्त नियमों से संबंधित निर्णय मुख्यालय के द्वारा लिए जाते हैं अत: अस्थायी संविदा पर रखे गए कर्मचारियों पर जवाबदेही निर्धारित करना संभव नहीं है इस विषय पर क्षे0का स्तर से केविसं के संविदा स्टाफ की स्वीकृति वित्त नियमों में हस्तक्षेप किया जाना संभव नहीं है । अत: क्षे0का के स्तर पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है ।
16	स्टाफ आवासों के लिए आंवटित राशि को कुछ प्राचार्यो द्वारा अपने आवास की साज सज्जा/ मनमाने तरीके से खर्च किया जा कर कर्मचारियों के आवासों की समस्याओं को नजरंदाज किया जा रहा है। कई जगह स्टाफ आवास में पानी टपकने/ टायलेट चोक होने/ बारिश के दौरान करंट के झटके आदि लगने की समस्याएँ हैं। अत: इस राशि को पारदर्शी तरीके से खर्च करने के निदेश दिए जाएँ।	स्टाफ आवासों के रखरखाव के संबंध में यदि कोई अनियमित्ता हो रही है तब उस विद्यालय का नाम सक्षम अधिकारी को अवगत कराया जाए । नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय को आवंटित राशि सभी स्टाफ क्वाटर के रखरखाव के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए। शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
17	विद्यालय निरीक्षण के दौरान अधिकारी गण शिक्षकों से अलग से मीटींग लेकर उनकी समस्याएँ जानने का प्रयास करें जिससे शिक्षक निर्भीक होकर अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकें एवं तनाव मुक्त होकर विद्यार्थियों के उन्नयन में अपना संपूर्ण योगदान दें सकें ।	शिक्षकों को अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए विभिन्न मंच/अवसर उपलब्ध हैं जैसे कि शिकायत निवारण दिवस।निरीक्षण के दौरान कुछ समूह के शिक्षकों में निरीक्षण अधिकारी द्वारा अलग से मीटिंग लेना समान्य जन को गलत संदेश जाने की संभावना होती है।

<u>KEVINSTA से प्राप्त Agenda बिन्दु</u>	<u>निर्णय</u>
1 <u>विगत बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई</u> आर0जे0सी0एम0 की बैठक के कार्यवृत्त अनुसार बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई या कार्यान्वयन की जानकरी निर्धारत अवधि के अंदर सभी संबंधितों को जारी की जा सकती है।	नियमानुसार जारी की जाती है एवं जारी की जा रही है । नियमानुसार अगली बैठक में अनुवर्ती रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी
2 <u>आर0जे0सी0एम0 की नियमित बैठकों का आयोजन</u> भोपाल संभाग में आर0जे0सी0एम0 की नियमित बैठकें नहीं हो रही है। जिससे स्टाफ साईड एवं संगठन के बीच संवाद की कमी बनी रहती है। आर0जे0सी0एम0 की नियमित बैठकें न होने से परिषद इसके उद्देश्यों जैसे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना, नियोक्ता के साथ हर संभव सहयोग, कर्मचारियों के कल्याण, विद्यालय के शैक्षिक स्तर एवं संयुक्त सेवाओं की दक्षता को बढ़ाने हेतु उचित प्रयासों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। शिक्षा संहिता के प्रावधान अनुसार दो माह में एक बैठक अनिवार्य है।	भविष्य में बैठकों का आयोजन नियमानुसार किया जाएगा। अपितु जानकारी हेतु प्रस्तुत है कि शैक्षिक संघ के सदस्यों की पदाधिकारियों के चयन की निर्विवाद जानकारी एवं गैर शैक्षिक संघ की बीच में नियमित या तदर्थ कार्यकारणी नहीं होने के कारण बैठक में विलम्ब हुआ है। नियमानुसार बैठकों के लिए संघों के पदाधिकरियों के सहयोग से प्रयास किया जाएगा।
3 <u>सब स्टाफ की कमी</u> जिन विदयालयों से सब स्टाफ अधिवार्षिता पर सेवा	संविदा आधार पर सब-स्टाफ रखने का प्रावधान नहीं है।

निवृत्त हो रहे हैं, उनके स्थान पर संविदा आदि आधार पर सब स्टाफ नियुक्त किए जा सकते हैं।	कन्जरवेंसी आदि सेवा आउटसोर्सिंग पर इसी कारण रखी गई हैं । प्रावधान अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी ।
4 <u>गैर-शैक्षिक कर्मचारियों की रिक्तता भरने के संबंध में</u> कुछ विद्यालयों में एस0एस0ए0 एवं जे0एस0ए0 के पद रिक्त हैं, उन्हें नियमित कर्मचारियों से भरने के उपाय किए जा सकते हैं।	नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्यालय से पैनल प्राप्त होने पर ही की जाती है
5 <u>क्षे0का0 भोपाल/विद्यालयों में जे0एस0ए0/स्टेनो ग्रेड-।। की रिक्तता के विरूद्ध आउट सोर्सिंग-</u> क्षे0का0 भोपाल एवं कई विद्यालयों में जे0एस0ए0 के पद लम्बे समय से रिक्त हैं, क्षे0का0 भोपाल में स्टेनो ग्रेड-।। का पद भी रिक्त है, क्षे0का0 में ऑडिट कार्य की भी अधिकता है। अतः उक्त पदों पर नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु शीघ्र प्रयास किए जाना चहिए। स्थाई नियुक्ति तक आउटसोर्सिंग आधार पर कर्मचारी नियुक्त किए जा सकते हैं। जिस प्रकार शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्ति के विरूद्ध संविदा आधार पर प्रतिवर्ष अंशकालिक शिक्षकों को रखा जा रहा है, के0वि0सं0 नई दिल्ली के परिपत्र क्र.एफ.110240(6)/2009-केविसं(मु०)(बजट) दिनांक 12/03/2010 के प्रावधान अनुसार आउट सोर्सिंग से टाईपिंग वर्क हेतु कर्मचारी रखे जाने पर विचार कर सकते हैं।	क्षे0का स्तर पर मुख्यालय के मार्गदर्शन एवं नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । नियमित पदों की पूर्ति के लिए केविसं(मुख्यालय) से निवेदन किया जाएगा।
<u>6डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को कार्य पर रखना</u> क्षे0का0 एवं विद्यालय स्तर पर कार्य की अधिकता एवं नियमित स्टाफ की कमी को देखते हुए कुछ कार्य डाटा एन्ट्री ऑपरेटर से करवाए जा सकते हैं। क्षे0का0 में प्रशासनिक-वित्तीय, आडिट कार्यों/कम्पाईलेशन कार्य/मासिक रिटर्न आदि कार्यों का दबाव नियमित रूप से बढ़ रहा है। कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री/कम्पाईलेशन जैसे कार्यो के लिए के0वि0सं0 नई दिल्ली के परिपत्र क्र.एफ.110240(6)/2009-केविसं(मु०)(बजट) दिनांक 12/03/2010 के प्रावधान अनुसार आउट सोर्सिंग से डाटा एनट्री आपरेटर रखे जाने पर विचार कर सकते हैं। इस संबंध में क्षे0का0 भोपाल के पत्र दिनांक 19/03/2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है।	क्षे0का स्तर पर जो भी नियमानुसार होगा प्राधिकृत अधिकारों एवं मुख्यालय के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी
<u>7 क्षे0का0 में अनुभाग अधिकारी का पद बहाल करना</u> क्षे0का0 भोपाल में 63 विद्यालयों का कार्यभार है एवं नियमित रूप से विद्यालयों की संख्या बढ़ रही है। संभागीय कार्यालयों के अंतर्गत विद्यालयों के पुनर्वितरण के कारणों से भी संभाग में कार्यभार बढ गया है। इसके अतिरिक्त वित्त अधिकारी का पद भी रिक्त है। संभाग में विद्यालयों की बहुसंख्या एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालय स्थित होने से आडिट कार्य में भी सुपरवाईजरी पद की आवश्यकता है। संभाग में कार्य की अधिकता एवं उक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए अनुभाग अधिकारी प्रशासन एवं वित्त की तत्काल आवश्यक है। अतः पद बहाल कर, भर्ती हेतु उचित प्रयास किए जा सकते हैं। क्षे0का0 भोपाल द्वारा इस संबंध मे मुख्यालय को प्रस्ताव दिया जा सकता है।	अनुभाग अधिकारी के पद की स्वीकृति मुख्यालय के द्वारा नहीं दी गई है । क्षे0का के अधिकार क्षेत्र में यह कार्य नहीं है।

<u>8 अनावेदकों को रिक्त आवासों का जबर्दस्ती अनावश्यक आवंटन</u> विद्यालयों एवं क्षे0का0 स्तर पर शिक्षक/कर्मचारियों द्वारा आवेदन न करने के उपरान्त भी अनावश्यक रूप से आवास आवंटित किए जा रहे हैं, जबकि कर्मचारी अपने निजि आवासों में रह रहे हैं एवं बैंक ऋण की किश्तों का भार भी वहन कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में अतिशेष आवास हैं, बड़े मरम्मत कार्य हैं, उन्हें तद्नुसार समाप्त करने अथवा आवंटित नहीं किए जाने के प्रयास किए जा सकते हैं। इस संबंध में के0वि0सं0 नई दिल्ली के पत्र दिनांक 05/05/2009 के अनुसार पात्रता आधार पर ही कर्मचारियों को आवास आवंटन सुनिश्चित किया जाए।	के0वि0सं0 के द्वारा निर्धारित नितिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता । नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । विशेष मरम्मत वाले आवासों को Demolise करने के लिए नियमों के अनुसार होने पर एक समिति बनाकर जिसमें एक इंजीनियर को भी रखा जाए प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए जिसे अग्रिम कार्रवाई हेतु केविसं(मु) को अग्रेषित किया जा सके ।
<u>9 एच0आर0ए0 जारी करना</u> क्षे0का0 स्तर पर एवं विद्यालय स्तर पर जिन कर्मचारियों को जिस अवधि हेतु आवास आवंटित नहीं किए गए हैं एवं पात्रता आधार पर आवास भरे हुए थे, उक्त अवधि का एच0आर0ए0 तत्काल जारी किए जाएँ। एक ही रिक्त आवास को दो से अधिक कर्मचारियों को आवंटित न किया जाए ।	नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
<u>10 के0वि0 बैरागढ़ के टाईप-।। के जर्जर आवासों को गैर आवासीय घोषित करना</u> के0वि0 बैरागढ़ के टाईप-।। आवास का निर्माण 35 वर्ष से अधिक पुराना है। जिस कारण आवास अत्यंत जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं। उक्त आवासों की छतें गिरने की स्थिति में हैं, मकानों का प्लास्टर, फर्श, टाईल्स अत्यंत खराब हैं एवं कभी भी किसी स्टाफ को आकस्मिक दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। बाथरूम एवं एवं लेटरीन अत्यंत खराब हैं, किसी भी समय जहरीले जानवरों का भय बना रहता है। दुर्घटना की आशंका एवं आवास अत्यंत जीर्ण होने के कारण स्टाफ को आवंटित नहीं किए जा सकते हैं। फिर भी क्वार्टर आवंटित किए जा रहे हैं। सामान्यत: टाईप-।। के चार आवासों की आवश्यकता होती है, किन्तु बैरागढ़ में टाईप-।। के 10 आवास हैं, जिनका औचित्य नहीं हैं। अत: टूटे-फूटे, जर्जर, छतिग्रस्त आवासों को तत्काल गैर-आवासीय घोषित किया जाना चाहिए।	विद्यालय से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
<u>11 अनुकम्पा नियुक्ति</u> जिन कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु एवं गरीबी के कारणा उनके परिवार को भरण पोषण में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, उनकी अनुकम्पा नियुक्ति हेतु विशेष प्रयास किए जा सकते हैं।	इस कार्यालय में प्राप्त समस्त प्रकरण मुख्यालय अग्रेषित किए जाते हैं । इस कार्यालय के स्तर पर कोई कार्यवाही संभव नहीं है । इस कार्यालय के स्तर पर कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।
<u>12 दिव्यांग शिक्षक एवं कर्मचारियों को डबल टी0ए0 पर आडिट आपत्तियाँ</u> दिव्यांग शिक्षक एवं कर्मचारियों को डबल टी0ए0 के संबंध में कुछ विद्यालयों में निश्चित समयावधि हेतु डबल टी0ए0 पर आपत्तियां जताई गई हैं। जबकि ऐसे कर्मचारियों को या तो स्थाई दिव्यांगता है एवं संबंधित बोर्ड/सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण	मुख्यालय के विषय के संबंध में दिशानिर्देश का पालन करने हेतु कार्यवाही की जा रही है । कहीं कोई विसंगति है तब जानकारी में आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थाई दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इस प्रकार के प्रकरणों में वसूली नहीं की जानी चाहिए। इस संबंध में के0वि0सं0 मुख्या0 नई दिल्ली के परिपत्र दिनांक 29-05-2015/01-06-2015 का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है।	
<u>13 सब स्टाफ की बैठक व्यवस्था एवं उचित संबोधन</u> चूंकि के0वि0सं0 के पत्र दिनांक 18/01/2010 के द्वारा सब स्टाफ का पद ग्रुप-सी के अंतर्गत आ गया है, अत: विद्यालय में सब स्टाफ साथियों के लिए बैठक की उचित जगह एवं व्यवस्था रखी जा सकती है। इसके साथ ही सब स्टाफ को ग्रुप-डी के नाम से संबोधित नहीं किया जा सकता है। उन्हें सम्मानजनक व उचित संबोधन से बुलाया जाना चाहिए।	के0वि0सं मु0 के परिपत्र क्र.F.11029-21/2012-KVSHQ/(Admn.1) दिनांक 15/01/2013 के अनुसार कर्मचारियों से उन्हें आवंटित कार्य के पूरे मनोयोग से करने की अपेक्षा की जाती हैं । इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक निर्देश प्राचार्य को जारी किए जाएगें ।
<u>14 सब स्टाफ से साफ सफाई आदि का कार्य न करवाया जाना</u> चूंकि वर्तमान में सब स्टाफ का पद ग्रुप-सी के अंतर्गत आ गया है, विद्यालय स्तर एवं क्षे0का0 स्तर पर अत: सब स्टाफ से साफ-सफाई, सामान उठाने रखने, वजन ढोने आदि का कार्य नियमित रूप से नहीं करवाया जाना चाहिए। सब स्टाफ कर्मचारियों का पद चूंकि वर्तमान में ग्रुप-सी के अंतर्गत है, अत: के0वि0सं0 मुख्या0 नई दिल्ली के पत्र दिनांक 18/01/2010 एवं 15/01/2013 के दिशा-निर्देश अनुसार उन्हें आवंटित कार्य ही उनसे करवाये जायें।	के0वि0सं मु0 के परिपत्र क्र.F.11029-21/2012-KVSHQ/(Admn.1) दिनांक 15/01/2013 के अनुसार कर्मचारियों से उन्हें आवंटित कार्य के पूरे मनोयोग से करने की अपेक्षा की जाती है । नियमानुसार आवश्यक निर्देश प्राचार्य को जारी किए जाएगें ।
<u>15 सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक एवं कर्मचारियों को विदाई/सराहना/शुभकामना पत्र जारी करना</u> प्रत्येक शिक्षक एवं कर्मचारी अपने जीवन का अधिकांश समय संगठन के दायित्वों को पूर्ण करने में व्यतीत करता है, अत: सेवानिवृत्ति पर उनकी सेवाओं के सम्मान स्वरूप उन्हें विदाई पत्र के रूप में सराहना/शुभकामना पत्र क्षे0का0 स्तर से जारी किया जा सकता है।	नियमानुसार जो भी होगा कार्यवाही की जायेगी । इस विषय पर क्षे0का से निर्देश देने का कोई प्रावधान नहीं है। परस्पर सामंजस्य एवं संस्कृति पर निर्भर है ।
<u>16 गैर शैक्षिक कर्मचारियों को केश हेन्डलिंग भत्ता जारी करना</u> सातवें वेतनमान की अनुशंसाओं में केश हेन्डलिंग एलाउन्स को ट्रेजरी एलाउन्स में परिवर्तित कर दिया गया है। संभाग में अशैक्षणिक कर्मचारियों केश हेन्डलिंग भत्ता ट्रेजरी एलाउन्स के रूप में स्वीकृति जारी की जा सकती है।	मुख्यालय से मार्गदर्शन मांगा गया है । मार्गदर्शन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
<u>17 क्षे0का0 एवं विद्यालयों में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता</u> क्षे0का0 भोपाल में रेनोवेशन एवं ए0सी0 कार्य हेतु स्टाफ आभारी है । किन्तु क्षे0का0/कुछ विद्यालयों में उचित कार/स्कूटर पार्किंग शेड अपर्याप्त है। जिससे स्टाफ एवं आगन्तुकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वर्षाकाल के पूर्व समुचित पार्किंग शेड की व्यवस्था करवाई जा सकती है। अनुभागों हेतु पृथक-पृथक वाटर कूलर एवं एक्वागार्ड की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा सकती है।	निर्माण कार्य की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित किया जायेगा । अन्य कंटिन्जेंसी, स्टेशनरी आदि के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इस संदर्भ में विद्यालयों को पत्र जारी किया जाएगा कि नियमों का पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई करें।

कुछ यू0पी0एस0 सिस्टम/प्रिंटर/स्केनर आदि की भी व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ रूप से की जा सकती है। समान कार्यवाही विद्यालयों हेतु भी अपेक्षित है।	
18गुमनाम/छद्म/नकली नामों से शिकायतों (Anonymous / pseudonymous complaints) पर कार्रवाई क्षे0का0/विद्यालयों में बहुतायत में प्राचार्य/शिक्षक/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमित रूप से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जो कि गुमनाम/छद्म/नकली नामों (Anonymous/pseudonymous complaints) प्रकार की शिकायतें हैं। के0वि0सं0 के कार्य प्रकृति के अनुरूप सभी स्टाफ के द्वारा पूर्ण मनोयोग, अनुशासन एवं कर्तव्यनिष्ठता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। इस प्रकार की शिकायतों की अनावश्यक जांच करवाने, स्पष्टीकरण मांगने, टिप्पणी मांगे जाने से स्टाफ का मनोबल गिरता है एवं अनावश्यक मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अनावश्यक कार्य के बोझ के साथ ही साथी शिक्षक/कर्मचारियों के प्रति हीन भावना उत्पन्न होती है, जो स्वस्थ कार्य पद्धति के विपरीत है। उक्त प्रकार की शिकायतों की जांच अथवा कार्यवाही के कारण क्षे0का0 में अनावश्यक कार्य का भार बढ़ रहा है। इस संबंध में या तो शिकायतों की पूर्ण तथ्यों/दस्तावेजों के साथ शिकायतकर्ता से पुष्टि आवश्यक है अथवा के0वि0सं0 मुख्या0 नई दिल्ली के पत्र दिनांक 8/9-12-2014 के अनुपालन में गुमनाम/छद्म/नकली नामों से शिकायतों (Anonymous/pseudonymouscomplaints)को तत्काल नस्ती किया जा सकता है।	नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । शिकायत में वर्णित तथ्यों के अनुसार ही कार्यवाही /जांच पड़ताल हेतु निर्णय लिया जाता है ।
19 चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के संबंध में प्रक्रिया में छूट के0वि0सं0 मुख्या0 नई दिल्ली के परिपत्र दिनांक 20/10/2014 के द्वारा परिचालित भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नई दिल्ली के का0ज्ञा0 दिनांक 15/07/2014 के द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के साथ Essentiality Certificate, Bills etc. पर Counter Signature हेतु प्रक्रिया पर छूट प्रदान की गई है। क्षे0का0 एवं विद्यालयों में उक्त प्रावधान को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए उक्त प्रक्रिया में छूट प्रदान की जा सकती है।	नियमों का अवलोकन करके नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । अपितु शासन के द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों का अक्षरश: पालन किया जा रहा है
20 विद्यालय के स्टाफ रूम एवं कार्यालय से क्लोज सर्किट केमरे हटाना - केन्द्रीय विद्यालयों में आवश्यक स्थानों के अतिरिक्त कार्यालय एवं स्टाफ रूमों में क्लोज केमरे लगाए गए हैं, उक्त केमरे विद्यालय भवन में सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ही लगाए जाने चाहिए। स्टाफ रूम एवं कार्यालय में केमरे से स्टाफ की निजता का हनन हो रहा है एवं महिला स्टाफ को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अत: कार्यालय एवं स्टाफ रूम से केमरे तत्काल हटाए जा सकते हैं।	किसी विशेष विद्यालय से शिकायत प्राप्त नहीं है । शिकायत प्राप्त होने पर सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
21 गैर शैक्षिक कर्मचारियों को लेपटाप दिलवाया जाना वर्तमान में ऑन लाईन सूचनाओं की तात्कालिक	क्षे0 का0 स्तर पर इस पर विचार संभव नहीं है ।

आवश्यकता प्रतीत हो रही है। कई अवसरों पर विद्यालयों से तत्काल जानकारी व सूचनाएँ मंगाई जाना आवश्यक हो जाती है एवं विद्यालय समय के उपरान्त भी सूचनाएँ मंगवाई जाती है। जिससे अशैक्षणिक कर्मचारियों को वापस विद्यालय जाना होता है। लेपटाप की उपलब्धता से सूचनाओं की तत्काल उपलब्ध सुलभ हो सकती है। अत: अशैक्षणिक कर्मचारियों को लेपटाप दिलवाए जाने हेतु प्रस्ताव मुख्यालय भेजा जा सकता है।	
<u>22 शिक्षक/कर्मचारी संघ हेतु कार्यालय/विद्यालय में पृथक नोटिस बोर्ड -</u> शिक्षक/गैर शिक्षक कर्मचारी संघों की गतिविधियों एवं कार्यकलापों की सूचना हेतु केन्द्रीय विद्यालयों एवं क्षे0का0 में पृथक नोटिस बोर्ड की व्यवस्था की जाए। ताकि शिक्षक/कर्मचारी संघों की सूचनाएँ सभी स्टाफ को समान रूप से प्राप्त हो सकें एवं सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे।	नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएगें।

(सुनीता श्रीवास्तव)
सहायक आयुक्त एवं उपायुक्त(प्र)
अध्यक्ष संयुक्त परामर्शदात्री